


FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

काली वनाम खण्डलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 76/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27-2-25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <input checked="" type="checkbox"/> काली</p> <p>पुत्री मित्ता श्री <u>वेणा जी रेगर</u></p> <p>निवासी- <u>सिरडी</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>काली</u></p> <p><u>सिरडी, सेमलपुरा, काली</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर..... <u>105, 109</u></p> <p>कुल कीता <u>2</u> कुल रकबा <u>0.9700</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सिरडी(सेमलपुरा)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>105, 109</u></p> <p>कुल कीता <u>2</u> रकबा <u>0.9700</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500</u> रुपये अक्षरे <u>पांच सौ</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <div style="text-align: right;">  जिला चित्तौड़गढ़ उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </div>